रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022023-243680
CG-DL-E-16022023-243680

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2023/माघ 27, 1944
No. 88] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2023/MAGHA 27, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मसौदा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 107(अ).—केंद्रीय सरकार एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले लोगों की सूचना के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) की अपेक्षा के अनुसार, निम्नलिखित मसौदा नियम बनाती है; और एतद्वारा सूचित किया जाता है कि जनता को राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, की प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की अवधि पूरी होने या उसके बाद उक्त मसौदा अधिसूचना पर विचार किया जाएगा।

मसौदा अधिसूचना में शामिल प्रस्तावों के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक कोई व्यक्ति, ऊपर विनिर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर अपनी आपत्ति या सुझाव केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए लिखित में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली- अग्रेषित कर सकता है या इसे mishra.vp@gov.in या rnpankaj.cpcb@nic.in ईमेल पते पर भेज सकता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(i) इन नियमों को ताप विद्युत संयत्रों द्वारा कृषि अवशिष्टों का उपयोग नियम, 2023 कहा जाएगा। ये नियम "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021" के तहत गठित एनसीआर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के क्षेत्राधिकार में स्थित सभी ताप विद्युत संयंत्रों पर लागू होंगे।

(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत् उत्पादन सुविधाओं के सभी कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों द्वारा वार्षिक रूप से कोयले के साथ-साथ न्यूनतम 5 प्रतिशत कृषि अवशिष्टों से बनाए गए पेलेट/ब्रिकेट के मिश्रण का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना है।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) या सीएक्यूएम द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से वार्षिक आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी:

अनुपालन वर्ष (2024 - 2025)	
वार्षिक आधार पर साथ में जलाए गए कृषि अवशिष्ट पेलेटों का प्रतिशत (**P**)	**पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की दर (रु. प्रति उत्पन्न विद्युत् इकाई)**
$4 < P \leq 5$	0.0
$3 < P \leq 4$	0.0
$2 < P \leq 3$	0.01
$1 < P \leq 2$	0.02
$0 < P \leq 1$	0.03
अनुपालन वर्ष (2025 - 2026) से आगे	
साथ में जलाए गए कृषि अवशिष्ट पेलेटों का प्रतिशत (**P**)	**पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की दर (रु. प्रति उत्पन्न विद्युत् इकाई)**
$4 \leq P < 5$	0.01
$3 \leq P < 4$	0.02
$2 \leq P < 3$	0.03
$1 \leq P < 2$	0.04
$0 \leq P < 1$	0.05

4. इस अधिसूचना को उपर्युक्त खंड 2 के अनुपालन के संबंध में केंद्रीय विद्युत् विनियामक आयोग या राज्य विनियामक आयोगों, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रशुल्क निर्धारण के उद्देश्य से कानून में परिवर्तन के रूप में माना जाएगा।

[फा. सं. क्यू-15014/16/2021-सीपीए (पार्ट-1)]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE DRAFT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2023

G.S.R. 107(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following draft rules, as required under sub-rule (3) of the rule 5 of the Environment (Protection) rules 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003, or send it to the email address: mishra.vp@gov.in or rnpankaj.cpcb@nic.in.

1. Short title and commencement:

(i) These rules may be called the Agro residue utilization by thermal power plants rules, 2023. This will be applicable to all the Thermal Power Plants Located in the Area falling in jurisdiction of Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas constituted under "The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021".

(ii) They shall come into force from the date of publication of final notification in the Official Gazette.

2. All coal based thermal power plants of power generation utilities shall on annual basis mandatorily use minimum 5 percent blend of pellets / briquettes made of crop residue along with coal.

3. Environmental Compensation shall be levied by Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (CAQM) or any officer authorised by CAQM on annual basis at the rate specified as per the following schedule:

Compliance Year (2024 - 2025)	
% age of crop residue pellets co-fired (P) on annual basis	**Rate of Environmental Compensation (*Rs. Per unit of electricity generated*)**
$4 < P \leq 5$	0.0
$3 < P \leq 4$	0.0
$2 < P \leq 3$	0.01
$1 < P \leq 2$	0.02
$0 < P \leq 1$	0.03
Compliance Year (2025 - 2026) onwards	
% age of crop residue pellets co-fired	**Rate of Environmental Compensation (*Rs. Per unit of electricity generated*)**
$4 \leq P < 5$	0.01
$3 \leq P < 4$	0.02
$2 \leq P < 3$	0.03
$1 \leq P < 2$	0.04
$0 \leq P < 1$	0.05

4. This notification will be treated as change in law for the purpose of determination of tariff by Central Electricity Regulatory Commission or State Regulatory Commissions, as the case may be, in respect of compliance of clause 2 above.

[F. No. Q-15014/16/2021-CPA(part-1)]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA